दूसरा अध्याय

विनियोग एवं व्यय पर नियंत्रण

आवंटीय प्राथमिकतायें एवं विनियोग

2.1 प्रस्तावना

भारत के संविधान की धारा 149 की आवश्यकताओं के अनुरूप विनियोग लेखे प्रति वर्ष बनाये जाते है जो विनियोग अधिनियम के संबंध में बजट को भारित तथा दत्तमत दोनों मदों पर अधिकृत राशियों के साथ ही शासन द्वारा वास्तव में विविध सेवाओं पर पूंजीगत एवं राजस्व व्यय सूचित करते हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किये गये विनियोग लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अधीन वस्तुतः किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत सीमाओं में है एवं संविधान के प्रावधानों के अधीन प्रभारित किया जाने वाला व्यय इसी प्रकार प्रभारित किया गया है। विनियोग लेखा परीक्षा में यह भी सुनिश्चित करते हैं कि क्या इस प्रकार किया गया व्यय विधान, सम्बद्व नियमों तथा विनियमों के अनुरूप है।

2.2 विनियोग लेखे का सारांश

वास्तविक व्यय की स्थिति का सारांश निम्नानुसार है -

(करोड़ रूपये में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान / विनियोग	अनुपूरक अनुदान / विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	अन्तर बचत (-) आधिक्य (+)
दत्तमत	I राजस्व	5103.17	994.33	6097.50	4920.59	(-) 1176.91
	II पूंजीगत	929.68	290.55	1220.23	824.44	(-) 395.79
	II ऋण तथा अग्रिम	83.77	74.11	157.88	57.70	(-) 100.18
कुल दत्तमत		**6116.62**	**1358.99**	**7475.61**	**5802.73**	**(-) 1672.88**
प्रभारित	IV राजस्व	956.88	23.60	980.48	875.82	(-) 104.66
	V पूंजीगत	0.33	--	0.33	0.03	(-) 0.30
	VI लोक ऋण	1397.99	0.76	1398.75	413.00	(-) 985.75
कुल प्रभारित		**2355.20**	**24.36**	**2379.56**	**1288.85**	**(-)1090.71**
	महायोग	**8471.82**	**1383.35**	**9855.17**	**7091.58**[8]	**(-) 2763.59**

तालिका राज्य सरकार की बजट तैयार किये जाने एवं वित्तीय कार्यान्वयन के गुणवत्ता की अत्यंत असंतोषजनक स्थिति दर्शाती है । अनुदान एवं विनियोग के 140 प्रकरणों में

[8] *इस व्यय में वर्ष में आहरित एवं मुख्य शीर्ष 8443 सिविल जमा 800 अन्य जमा में जमा किए गए 81.54 करोड़ रूपये सम्मिलित हैं*

2878.18 करोड़ रूपये की बचतों को अनुदान एवं विनियोग के 10 प्रकरणों में 114.59 करोड़ रूपये के आधिक्य को समायोजित (ऑफ-सेट) करने के फलस्वरूप 2763.59 करोड़ रूपये की कुल बचत मूल विनियोग का 32.62 प्रतिशत थी । 718 शीर्षों के आधिक्य/बचत के स्पष्टीकरण या तो प्राप्त नहीं हुए या अपूर्ण प्राप्त हुए जो कि कुल 740 शीर्षों का 97 प्रतिशत होते है ।

2.3 आवंटीय प्राथमिकताओं की पूर्ति

2.3.1 आवंटीय प्राथमिकताओं से विनियोग

10 अनुदानों की आवंटीय प्राथमिकताओं के संदर्भ में बचत/आधिक्य के विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि विकासात्मक सामाजिक क्षेत्रों जैसे आदिवासी क्षेत्र उपयोजना, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि में भारी बचतें थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया हैः-

अनुदान संख्या 41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना

(करोड़ रूपये में)

राजस्व (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचतें
मूल	405.16			
अनुपूरक	132.10	537.26	303.21	234.05

बचतें मुख्यतः 2401-सुक्ष्म प्रबंधन कार्य योजना 10.07 करोड़ रूपये, 2505-पूर्ण रोजगार योजनाएं, 22.72 करोड़ रूपये, 2515 प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना - 45.98 करोड़ रूपये, राष्ट्रीय सामुदायिक विकास योजना-30 करोड़ रूपये, एम.एस.हाउसिंग शाला समिति को अनुदान 10.80 करोड़ रूपये, 2801 तात्कालिक ऊर्जा विकास परियोजना 10 करोड़ रूपये में घटित हुई । बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये थे ।

अनुदान संख्या 39- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

(करोड़ रूपये में)

राजस्व (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	187.16			
अनुपूरक	301.20	488.37	314.70	173.67

बचतें मुख्यतः 2408 खाद्य, संग्रह एवं भंडारण, नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न प्राप्ति में हानि पूर्ति के लिये अनुदान-32.35 करोड़ रूपये, राज्य सहकारिता विपणन संघ की खाद्यान्न प्राप्ति में हानि पूर्ति के लिये सहायता- 39.30 करोड़ रूपये एवं केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अधीन विकेंद्रीकृत उपार्जन योजनांतर्गत आर्थिक सहायता - 96.91 करोड़ रूपये में थीं। बचत के कारण सूचित नही किये गये थे ।

अनुदान संख्या 27 - शालेय शिक्षा

(करोड़ रूपये में)

राजस्व (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	637.19			
अनुपूरक	18.78	655.97	554.51	101.46

बचतें मुख्यतः 2202-सामान्य शिक्षा-ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड योजना - 14.49 करोड़ रूपये शासकीय प्राथमिक शालाएं (आधार भूत न्यूनतम सेवाएं हेतु)- 62.67 करोड़ रूपये, उच्च्तर माध्यमिक विद्यालय - 7.84 करोड़ रूपये में घटित हुई। बचतों के कारण सूचित नहीं किए गए थे।

अनुदान संख्या 58- प्राकृतिक आपदा एवं सूखा राहत पर व्यय

(करोड़ रूपये में)

राजस्व (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य
मूल	138.41			
अनुपूरक	122.27	260.68	321.50	60.82

आधिक्य मुख्यतः 2245-पेय जल आपूर्ति - 18.50 करोड़ रूपये, नकद सहायता-4.16 करोड़ रूपये, 2702-लघु सिंचाई (कृषि)- 52.44 करोड़ रूपये, 3054-जिला एवं अन्य सड़कें 23.06 करोड़ रूपये में घटित हुए जो कि 2245-प्राकृतिक आपदा आकस्मिकता निधि से आपदा राहत निधि को अंतरण राशि - 41.52 करोड़ रूपये की बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित किया गया। आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये थे।

अनुदान संख्या 80-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(करोड़ रूपये में)

राजस्व (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	229.81			
अनुपूरक	36.48	266.29	220.83	45.46

बचतें मुख्यतः 2202-सामान्य शिक्षा-आधार भूत न्यूनतम सेवायें हेतु शिक्षा कर्मियों को वेतन के लिये अनुदान - 28.74 करोड़ रूपये, प्राथमिक शालाओं में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम-6.36 करोड़ रूपये, 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन-9.00 करोड़ रूपये में घटित हुई । बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये थे।

अनुदान संख्या 23 जल संसाधन विभाग

(करोड़ रूपये में)

राजस्व (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	244.50			
अनुपूरक	0.40	244.90	205.07	39.83

बचतें मुख्यतः 4701-वृहद् एवं मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-बांध एवं संबंद्ध कार्य-32.86 करोड़ रूपये में घटित हुई । बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये थे ।

अनुदान संख्या - 10 वन

(करोड़ रूपये में)

राजस्व (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	257.37			
अनुपूरक	0.05	257.42	227.11	30.31

बचतें मुख्यतः 2406-वन एवं वन्य जीवन राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी, खैर और बांस के राजकीय व्यापार- 2.31 करोड़ रूपये एवं बांस-3.98 करोड़ रूपये में घटित हुई। बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये थे।

अनुदान संख्या 20 - लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

(करोड़ रूपये में)

राजस्व (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	20.80			
अनुपूरक	0.39	21.19	0.16	21.03

बचतें मुख्यतः 6215-जल प्रदाय एवं स्वच्छता के लिये ऋण, नई शहरी जल प्रदाय योजनाओं के लिये जीवन बीमा निगम ऋण 20.00 करोड़ रूपये में घटित हुई। बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये थे।

अनुदान संख्या 24- लोक निर्माण - सड़क एवं पुल

(करोड़ रूपये में)

राजस्व (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	128.37			
अनुपूरक	20.05	148.42	132.00	16.42

बचतें मुख्यतः 3054-सड़क एवं पुल साधारण मरम्मत-2.79 करोड़ रूपये, चौड़ीकरण - 2.02 करोड़ रूपये, नवीनीकरण-4.09 करोड़ रूपये, मजबूतीकरण - 2.44 करोड़ रूपये, निर्देशन एवं प्रशासन, अनुदान 67 मुख्य शीर्ष 2059-लोक निर्माण के स्थापना का यथानुपात अंश 4.37 करोड़ रूपये में घटित हुई। बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये थे।

यह भी देखा गया किः

परिशिष्ट VI में दर्शाये अनुसार 66 प्रकरणों में से प्रत्येक प्रकरण में व्यय कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से भी अधिक सीमा तक कम एवं एक करोड़ रूपये से अधिक से कम पाया गया। 31 प्रकरणों में प्रत्येक प्रकरण में 5 करोड़ रूपये या अधिक की एवं प्रावधान के 80 प्रतिशत से भी अधिक का 604.66 करोड़ रूपये के योग तक की सारभूत बचतें देखी गई। **परिशिष्ट VII (i)** में विवरण दिये गये है। 31 में से 19 प्रकरणों में संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

परिशिष्ट VII (ii) के अनुसार 12 प्रकरणों मे प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ रूपये या अधिक का विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं में दिया गया 50.96 करोड़ रूपये के योग का संपूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा।

अनुदान एवं विनियोगों के 10 प्रकरणों में 114.59 करोड़ रूपये के आधिक्य में अनुदान संख्या 58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा राहत पर राहत का अकेला व्यय ही 60.81 करोड़ रूपये की राशि का था। **(परिशिष्ट VIII)**

2.3.2 आधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता

गत वर्ष के प्रावधान पर आधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार अनुदान/विनियोग पर आधिक्य को राज्य शासन द्वारा राज्य विधान मण्डल से नियमित कराना अनिवार्य है। तथापि वर्ष 2000-01 (नवम्बर से मार्च) एवं 2001-02 के लिये 126.11 करोड़ रूपये के आधिक्य को अभी तक नियमित नही कराया गया (अक्टूबर 2003)। यह विनियोग पर राज्य विधान मण्डल के नियंत्रण का उल्लंघन था।

2002-2003 की अवधि के प्रावधान पर आधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता

संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन अनुदान के 8 प्रकरणों में 114.51 करोड़ रूपये का एवं विनियोग के 2 प्रकरणों में 0.08 करोड़ रूपये के आधिक्य का नियमितीकरण आवश्यक था । **परिशिष्ट VIII** में इनके विवरण दिये गये है ।

2.3.3 मूल बजट एवं अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 1383.35 करोड़ रूपये के प्राप्त अनुपूरक प्रावधान गत वर्ष के 10 प्रतिशत के मूल प्रावधान के विरूद्व 16 प्रतिशत थे ।

2.3.4 अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

परिशिष्ट- IX में दिये गये विवरण के अनुसार 2239.06 करोड़ रूपये की कुल बचत के परिपेक्ष्य में वर्ष में 49 प्रकरणों में किये गये 462.18 करोड़ रूपये के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्व हुए।

24 प्रकरणों में 327.34 करोड़ रूपये की अतिरिक्त आवश्यकता के विरूद्व 822.94 करोड़ रूपये के अनुपूरक / अनुदान / विनियोग प्राप्त किये गये इसके फलस्वरूप प्रत्येक प्रकरण में 10 लाख रूपये से अधिक की कुल 495.60 करोड़ रूपये तक की बचत हुई । इन प्रकरणों के विवरण **परिशिष्ट- X** में दिये गये है ।

2 प्रकरणों में 186.04 करोड़ रूपये के अनुपूरक अनुदान/विनियोग प्रत्येक प्रकरण में 10 लाख रूपये से अधिक अपर्याप्त सिद्व हुआ जिसके कारण 65.90 करोड़ रू. का कुल अधिक व्यय अनावृत्त रहा जिसके विवरण **परिशिष्ट- XI** में दिये गये है ।

2.3.5 सारभूत आधिक्य

8 योजनाओं में अन्तर्निहित 6 अनुदानों में व्यय अनुमोदित प्रावधान से 5 करोड़ रूपये या अधिक एवं कुल प्रावधान से 100 प्रतिशत से अधिक कुल 99.73 करोड़ रूपये तक अधिक था, इनके विवरण **परिशिष्ट XII** में दिये गये है ।

2.3.6 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग

पुनर्विनियोग अनुदान के भीतर ही विनियोग की एक इकाई जहॉ बचत प्रत्याशित होने से दूसरी इकाई में जहॉ अतिरिक्त निधि आवश्यक हो, निधियों का अंतरण है। ऐसे प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ रू. से अधिक का पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण, विवेकहीन सिद्व हुए के विवरण **परिशिष्ट XIII, XIV** एवं **XV** में दिये गये है।

2.3.7 प्रत्याशित बचतें अभ्यर्पित न करना

जब कभी भी बचतें प्रत्याशित हो, व्यय करने वाले विभागों द्वारा अनुदानों/विनियोगों को या इनके अंश को वित्त विभाग को अभ्यर्पित करना आवश्यक है। तथापि 2002-03 वर्ष के अंत में अनुदान/विनियोग के 116 प्रकरणों में भारी बचतें विभाग द्वारा अभ्यर्पित नही की गयी। इसमें 1361.09 करोड़ रूपये की राशि अन्तर्निहित थी। **परिशिष्ट- XVI** में दिये गये विवरण के अनुसार 34 प्रकरणों में प्रत्येक प्रकरण में 5 करोड़ रूपये एवं अधिक की कुल 1293.35 करोड़ रूपये की उपलब्ध बचतो की सार्थक राशि अभ्यर्पित नही की गयी।

परिशिष्ट- XVII में दिये गये विवरण के अनुसार व्यय पर अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण दर्शाते हुए 68 प्रकरणों में कुल अभ्यर्पित 1553.19 करोड़ रूपये में से 1552.43 करोड़ रूपये (99.95 प्रतिशत) मार्च 2003 के अंतिम दिन अभ्यर्पित किये गये।

2.4 असमाधानित व्यय

विभागीय व्यय के आँकड़ों का महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आंकड़ों से प्रति माह मिलान करना चाहिए। तथापि कई विभागों में समाधान बकाया रहा था। 34 नियंत्रण अधिकारियों ने 447.90 करोड़ रूपये की अन्तर्निहित राशि का समाधान नहीं किया।

2.5 दोष पूर्ण पुनर्विनियोग

राज्य सरकार के अनुदेशों (जनवरी 2001)एवं वित्तीय नियमों के अनुसार (i) वेतन एवं मजदूरी शीर्ष से दूसरे शीर्ष में पुनर्विनियोग स्वीकार्य नहीं हैं, (ii) एक अनुदान से दूसरे अनुदान में निधियों का पुनर्विनियोग नहीं करना चाहिये। (iii) पुनर्विनियोग स्वीकृति के दोनो तरफ के योगों का मिलान होना चाहिये। (iv) सक्षम अधिकारी द्वारा अभ्यर्पण/पुनर्विनियोग की सभी स्वीकृतियॉ जारी की जानी चाहिये एवं ये महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में लेखाओं के बंद एवं अंतिम रूप देने के पूर्व प्राप्त होनी चाहिये। इसके उल्लंघन में **परिशिष्ट-XVIII** मे दिये गये विवरण के अनुसार शासन द्वारा 277.62 करोड़ रूपये 2002-03 की अवधि में पुनर्विनियोजित/अभ्यर्पित किये गये।

2.6 व्यय की अधिकता

वर्ष के दौरान व्यय का नियमित प्रवाह बजट नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता है। विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंत के महीनों में व्यय की अधिकता वित्तीय नियमों का उल्लंघन माना जाता है तथापि यह दृष्टिगत हुआ कि 14 प्रकरणों में मार्च 2003 की अवधि में व्यय कुल व्यय का 36 प्रतिशत से 87 प्रतिशत की सीमा तक रहा। **परिशिष्ट- XIX** में विवरण दिये गये है।

2.7 बजटीय नियंत्रण

2.7.1 वर्ष 2002-03 के लिये 5 अनुदानों[9] के प्रकरण की बजटीय कार्य प्रणाली एवं व्यय के नियंत्रण की समीक्षा से प्रकट हुआ कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान एवं पुनर्विनियोग की राशि दर्शाते हुए व्यय नियंत्रण पंजियों का संधारण नहीं किया गया था या नमूना जांच की गई अनुदानों के नियंत्रण कार्यालयों में अपूर्ण थीं । परिणामतः मासिक व्यय का अद्यतन प्रगामी योग नहीं निकाला जा सका जिससे व्यय का परिवीक्षण नहीं हुआ एवं उचित नियंत्रण का अभाव रहा।

इसके अतिरिक्त नमूना जाँच की गई अनुदानों की विस्तृत समीक्षा से निम्नानुसार अनियमितताएं प्रकट हुईः-

- **परिशिष्ट- XX** में दिये गये विवरण के अनुसार सार्थक बचतें योजनाओं में पायी गई थी।

- चार अनुदानों के राजस्व दत्तमत खण्ड में 38.87[10] करोड़ रूपये का एवं दो अनुदानों के पूँजीगत दत्तमत खण्ड में 37.94[11] करोड़ रूपये का अधिक बजट प्रावधान था।

---

9 *10-वन, 14-पशुपालन, 17-सहकारिता, 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं 33-जनजाति कल्याण*

10 *10. 6.90 करोड़ रूपये, 14. 6.10 करोड़ रूपये, 17. 1.37 करोड़ रूपये, 20. 24.50 करोड़ रूपये*

11 *17. 17.41 करोड़ रूपये, 20. 20.53 करोड़ रूपये*

- अनुदान संख्या 10 के 5 मुख्य शीर्षो एवं अनुदान संख्या 17 के एक मुख्य शीर्ष में कोई व्यय नहीं किया गया, जिससे बिना किसी कार्य आवश्यकता के तदर्थ बजट बनाना प्रकट हुआ। इसके अतिरिक्त अनुदान संख्या 20 के दो मुख्य शीर्षो 6215 एवं 4215 में व्यय क्रमशः 3 एवं 24 प्रतिशत से कम था फलस्वरूप 97 एवं 76 प्रतिशत से अधिक का प्रावधान अनावश्यक रूप से व्यपगत हुआ । विवरण **परिशिष्ट- XXI** में दिये गये है।

नमूना जॉच की गई अनुदानों की चार योजनाओं में 9.50 करोड़ रूपये का अनुपूरक प्रावधान अप्रयुक्त रहा एवं अनावश्यक सिद्ध हुआ । क्रमशः **परिशिष्ट- XXII(i)** एवं **XXII(ii)** में दिये गये विवरणानुसार 8 योजनाओं में 4.74 करोड़ रूपये का पूरक प्रावधान अधिक रहा।

- अनुदान संख्या 14 के मुख्य शीर्ष 2403 की 6 योजनाओं में 61 से 100 प्रतिशत तक कुल व्यय मार्च में किया गया। अनुदान संख्या 33 के मुख्य शीर्ष 2225 की 5 योजनाओं में 39 से 83 प्रतिशत तक कुल व्यय मार्च में किया गया। तीन मुख्य शीर्षो (2425, 4425, 6425) की आठ योजनाओं में 100 प्रतिशत तक व्यय मार्च में हुआ जैसा कि **परिशिष्ट- XXIII** में विस्तृत रूप से दिया गया है।

2.7.2 निधियों का विवेकहीन अभ्यर्पण

अनुदान संख्या 14 के मुख्य शीर्ष 2403 में 6.10 करोड़ रूपये की उपलब्ध बचत के विरूद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नही की गयी । तथापि 29 अप्रैल 2003 को 6.26 करोड़ रूपये का अभ्यर्पण निधियॉ व्यपगत होने के बाद प्रस्तावित किया गया।

इसी प्रकार वित्त विभाग के अनुमोदन के बिना अनुदान संख्या 33 के मुख्य शीर्ष 2225 एवं 2515 में 48 करोड़ रूपये के अंतिम आधिक्य के विरूद्ध 23.16 करोड़ रूपये के अभ्यर्पण का 31 मार्च 2003 का प्रस्ताव अवास्तविक एवं विवेकहीन था।

2.7.3 व्यक्तिगत लेजर खाता / व्यक्तिगत जमा खाता

वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि कोषालय से तब तक किसी भी धन का आहरण न किया जाए जब तक कि तुरंत वितरण के लिये इसकी आवश्यकता न हो। तथापि, लेखा परीक्षा में देखा कि अनुदान संख्या 20 में राज्य आयोजना योजना-स्थानीय संस्थाओं को सहायता, राजनांदगांव जल प्रदाय योजना (मुख्य शीर्ष 2215-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) के अन्तर्गत 4 करोड़ रूपये. 31 मार्च 2003 को आहरित कर 8443 सिविल जमा में जमा किये गये। मुख्य शीर्ष 2215 की केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं में 3 करोड़ रूपये 31 मार्च 2003 को आहरित कर 8443 सिविल जमा में जमा किये गये।

इसी तरह अनुदान संख्या 14 में मुख्य शीर्ष 2403-पशुपालन की केन्द्रीय प्रवर्तित योजनांतर्गत 31 मार्च 2003 को 4.22 करोड़ रूपये आहरित किये गये एवं 8443 सिविल जमा-800 अन्य जमा में जमा किये गये। संचालक पशु चिकित्सा सेवायें ने गुणारोपित किया (सितंबर 2003) कि शासन की स्वीकृति न मिलने के कारण उपयोग नहीं हुआ उत्तर स्वीकार्य नही था क्योंकि 4.22 करोड़ रूपये का व्यय वर्ष 2002-03 में

गलत रूप से किया जाना बताया गया था जबकि वास्तव में यह सिविल जमा में जमा कर अगले वर्ष उपयोग में लाया जाना था।

2.8 ग्यारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों का उपयोग

ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर भारत सरकार द्वारा राज्य शासन को विभिन्न विभागों के लिये उन्नयन अनुदान जारी किये ।

छत्तीसगढ़ शासन के नवंबर 2000 (राज्य अस्तित्व में आने के दिनांक से) से मार्च 2003 की अवधि के विनियोग लेखे की समीक्षा सूचित करती है कि ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 130.44 करोड़ रूपये के लिये जारी निबल बजट प्रावधान के विरूद्व 64.66 करोड़ रू. का आहरण (लगभग 50 प्रतिशत) किया गया । आहरित राशि यद्यपि व्यय की गई दर्शायी गयी, उसमें से 27.30 करोड़ रूपये 8443-सिविल डिपॉजिट में रखे गये (वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन आहरित किये गये) एवं इस प्रकार वास्तविक रूप से व्यय नहीं किये गये । इससे कुल व्यय 42.2 प्रतिशत से बढ़ाया गया तथापि, लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि जब वित्त विभाग के अभिलेख 68.64 करोड़ रूपये की सीमा तक निधियों की प्राप्ति दर्शाते है, इन अभिलेखों में 51.63 करोड़ रूपये का व्यय दर्ज किया गया एवं शेष 17.01 करोड़ रूपये की राशि सिविल डिपॉजिट में रखना दर्शाया गया । इन आंकड़ों का मिलान विभिन्न क्रियान्वयन विभागों द्वारा रखे गये आंकड़ों से नहीं किया गया, जो 66.33 करोड़ रूपये का आहरण एवं 31.57 करोड़ रूपये का व्यय, शेष 34.76 करोड़ रूपये सिविल डिपॉजिट में रखना इंगित करता है।

आहरण, व्यय एवं जमा की राशियों के इन आंकड़ों का तीन सेटों वाले आंकड़े नामतः विनियोग लेखाओं, वित्त विभाग के अभिलेखों एवं क्रियान्वयन विभागों से समाधान न होने के कारण प्राप्त समन्वय एवं राज्य का वित्तीय प्रबंधन जो कि वित्त विभाग में विद्यमान है, विपरीत रूप से प्रभावित हुआ।

ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार विभिन्न अनुमोदित योजनाओं में से 875 के लक्ष्य के विरूद्व केवल 380- इंदिरा गांव गंगा योजना पूर्ण हुईं एवं शेष कार्य यद्यपि प्रारंभ किये गये थे परंतु अभी भी प्रगति पर थे। 3 विभागों को 1.03 करोड़ रूपये के अधिक अनुदान जारी किये गये जबकि व्यय की प्रगति काफी धीमी थी। **परिशिष्ट- XXIV** में निधियों के उपयोग के विवरण दिये गये हैं।

संबंधित विभागों ने कहा कि निष्पादन एजेंसियों/विभागों से राशि उपयोग करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रतिक्षित हैं।

इसके अतिरिक्त स्थानीय लेखा परीक्षा (अगस्त 2003) में यह देखा गया कि :

- ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के बावजूद कि निर्माण लागत का 75 प्रतिशत केन्द्र द्वारा वहन किया जावेगा एवं शेष 25 प्रतिशत लोक अंशदान द्वारा या तो संबंधित पंचायत द्वारा अपने स्वंय के स्त्रोत से या सांसद/विधायक स्थानीय विकास निधि से वहन किया जायेगा, के बावजूद कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवायें अभनपुर ने 2002-03 की अवधि में 14 शाला भवनों के निर्माण के लिये 66.33 लाख रूपये का व्यय बिना किसी लोक अंशदान की प्राप्ति के शासकीय अंश से किया।

- 2002-04 की अवधि में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत राजनांदगांव ने 20 पुलियों के निर्माण के लिये 45.07 लाख रूपये व्यपवर्तित किये जिन्हें 11 वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं में शामिल नहीं किया गया था।

शासन ने बताया (फरवरी 2004) कि आंकड़ों का मिलान महालेखाकार के आंकड़ों से किया जा रहा था। संबंधित विभागों से भी व्यय का मिलान किया जा रहा था एवं तथ्यात्मक स्थिति सूचित की जावेगी।